

न्यायालय, अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद अधिनियम - 1, भागलपुर।
बाईपास थाना कांड संख्या - 61/2025

11.05.2025

प्रथम सूचना पत्र के साथ धारा 37 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि०-2016 के अन्तर्गत समर्पित किया गया। देखा। पंजीबद्ध करें।

लेखापित

अ० वि० न्या०, उत्पाद - 1

पश्चात्

11.05.2025

प्रस्तुत कांड के अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त- 01. सुमीत कुमार, उम्र- 29 वर्ष, पिता- कैलाश राय, साकिन- गणेशपुर तिनपुलिया, थाना- बाईपास 02. कन्हाई यादव, उम्र- 42 वर्ष, पिता- स्व० हरि यादव, साकिन- अलिगंज उपर गंगटी, थाना- बबरगंज, दोनों जिला- भागलपुर, को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगा लाने वाले मार्गरक्षी बल द्वारा किसी प्रकार के दुर्व्यवहार किये जाने की शिकायत अभियुक्तगा नहीं करते हैं। उत्पाद पदाधिकारी द्वारा अभियुक्त के परिजन को गिरफ्तारी की सूचना दी गई।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 37 बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम - 2016 के अन्तर्गत अभियोग है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। प्रकरा में प्रस्तुत Inquiry report/जॉच प्रतिवेदन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 37 बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम - 2016 के प्रथम दृष्टया अपराध प्रकट होता है।

अभियुक्त को अभियोग का सारांश बताया एवं समझाया गया। जिसपर अभियुक्तगा ने अपना दोष स्वीकार किया जिसके आधार पर अभियुक्तगा को धारा 37 बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम - 2016 के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त-
01. सुमीत कुमार को मो०- 3000/- रु०(तीन हजार)।
02. कन्हाई यादव को मो०- 1 रु०(एक)।
अर्थदंड की राशि के भुगतान करने या उक्त जुर्माने की राशि के भुगतान में चूक होने पर 30 (तीस) दिनों के साधारा कारावास भोगने का दंडादेश दिया जाता है।

लेखापित

अ० वि० न्या०, उत्पाद - 1

11.05.2025

(a) As per above order the office is reported that the fine has been deposited vide Nazirslip No- 655771, dt- 11.5.25 on behalf of convicted Accused

(b) As per above order the office is reported that the fine has been deposited vide Nazirslip No- 655772, dt- 11 on behalf of convicted Accused

As per the direction of Court fine has been deposited by the above named accused, hence the proceeding u/s 37 BPEA 2016 has been disposed against the above named accused O/c is directed to give a copy to the proceuction and accused and deposite the record in DRR.

अ० वि० न्या०, उत्पाद - 1